न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 183/2007/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

भाईधन पुत्र हमना जाति जाट निवासी कैरवाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय **दिनांकः–24.10.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कैरवाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर 1444/1/2 क्षेत्रफल 0.51 है0 स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार प्रतिपक्षी मन्दिर लिछमण जी था एवं काबिज था। उसके अतिरिक्त इस भूमि में किसी दूसरे का हिस्सा व कब्जा नहीं था। उक्त भूमि वर्णित धारा 1 प्रार्थना पत्र को प्रतिपक्षी मन्दिर लिछमण जी ने बिचोती पत्र/दान पत्र/ बंधक पत्र/ विनिमय/शिकमी कास्त के द्वारा प्रतिपक्षी नम्बर 1 को हस्तान्तरित कर दिया। कानून से मन्दिर की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकता। इसलिये हस्तानान्तरण अवैध है। निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त हस्तानान्तरण ABINITION NULL AND VOID है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 को विवादग्रस्त भूमि धारा 1 में कानून से कोई खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। उसका कब्जा उक्त भूमि पर अनाधिकृत है और यह कानून से उक्त भूमि पर अतिक्रमी है, और बेदखल किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षी नम्बर 1 को विवादग्रस्त भूमि का अवैध हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42, 43, 46(ए) के विरूद्ध हस्तान्तरण किया है इसलिये इसका इस भूमि से कोई ताल्लुक नहीं रहा है और यह भूमि कानूनन राजस्थान सरकार की हो गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजियात की खातेदारी मन्दिर लिछमण के नाम से दर्ज किये जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जावे।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की और से वकील श्री जगराम कुड़ी उपस्थित आये। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2019 से 2022 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री लछमण जी पुजारी माधोदास पि. गणेशदास कौम स्वामी कैरवाली खुद काश्त के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी भाईधन पुत्र हमना जाति जाट सा. कैरवाली के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री लछमण जी पुजारी माधोदास पि. गणेशदास कौम स्वामी कैरवाली ... के दर्ज रिकार्ड नहीं है एवं जमाबन्दी सम्वत 2056–2059 के मुताबिक

2019–2022 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री लछमण जी खुद काश्त के रूप में दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2059 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थी के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम कैरवाली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1444/1/2 की खातेदारी अन्य खातेदार के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री लछमण जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/10/19

(जयप्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर